

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 86/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 296/76-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अगस्त, 1976, जिसे सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 02 अगस्त, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, अंक और कोष्ठक, “सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)”, के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक, “और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12),” को अंतःस्थापित किया जाएगा,
- (ii) जहां-जहां भी “अतिरिक्त शुल्क” शब्द आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर “एकीकृत कर तथा माल एवं सेवा प्रतिपूर्ति उपकर” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/432/2018- टीआरयू-(भाग-I)]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 296/76-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अगस्त, 1976 को सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 02 अगस्त, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 101/1995-सीमा शुल्क, दिनांक 26 मई, 1995, सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था ।